कार्यालय : अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर (राज.)

क्रमांक :– स्था./2025/764 दिनांक :– 25/02/25

–:: आदेश ::–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड–II/2022/2248 दिनांक 05.08.2022, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र कमांक F-7()RSLSA/Recruitment Jr. Assi./Estt.2019/27442 दिनांक 18.01.2025 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम 1986 (यथा संशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर को रिजर्व सूची से आवंटित निम्न अभ्यर्थी को 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः 6 माह के लिए राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड–II के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 माह/02 वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी. (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14600/– मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैं, इनके पदस्थापन आदेश पृथक् से जारी किये जावेगें :–

क.स.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग	लिंग
1	172628	अभिषेक शर्मा	सामान्य	पुरूष

नियुक्ति की शर्ते :–

1– यह नियुक्ति, कनिष्ठ न्यायिक सहायक/कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड– II की संयुक्त परीक्षा–2022 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट Special Leave to Appeal (c) No(s). 27348/2023 Rajasthan High Court & Anr. Vs. Rajat Yadav & Ors. एवं अन्य संबंधित सभी विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेगी।

2– प्रथम 06 माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

3– प्रथम 06 माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर 02 वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य व व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मैट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।

4— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई हैं। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

5— पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचना या सत्यापन सहीं नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

6— अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन मेडिकल पॉलिसी लेने एवं चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होगें।

7— राज्य सरकार/ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्रो के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।

8— इस आदेश की प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा की संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नही है ऐसी स्थिति में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

9— नव—नियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्र/सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।

10— अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11— अभ्यर्थी को नियुक्ति स्थान पर पहुँचने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

12— अभ्यर्थीगण को कार्य ग्रहण करने से पूर्व संलग्न सांक्ष्यांकन—पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र व ATTESTATION FORM (पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन) भरकर/बाद पूर्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।

13— अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय इस प्राधिकरण में मूल दस्तावेज पेश करने होगें तथा आयु संबंधी, शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर संबंधी अर्हता, जाति प्रमाण—पत्र एवं वैवाहिक स्थिति आदि दस्तावेजों की एक—एक सत्य प्रतिलिपि एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

-sd-

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सीकर (राज0)

क्रमांक :– स्था./2025/767

दिनांक– 25/02/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

01– माननीय सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

02– अभिषेक शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा, 1, रामानंद नगर, लाल ड़िग्गी, अलवर, राजस्थान, पिन कोड– 301001
(मोबाईल नं.– 7976126740, Email Id- asabhisheksharma1997@gmail.com)

03– सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर को प्रेषित कर लेख हैं कि नियुक्ति आदेश, जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

04– श्री नरेश कुमार, प्राप्ति एवं डिस्पेच क्लर्क, कार्यालयहाजा को प्रति भेजकर लेख हैं कि संबंधित कर्मचारी को उक्त आदेश जरिये पोस्ट एवं उनकी ई–मेल एवं वाट्सएप पर प्रेषित करें।

05– सहायक लेखाधिकारी–ग्रेड– II, लेखा शाखा

06– आदेश/संबंधित/निजी पंजिका

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सीकर (राज0)